- V. List 2 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force on the 2nd February 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 43/2020-Customs, dated the 26th November, 2020, published *vide* number G.S.R. 736(E), dated the 26th November, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 3/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 61(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-
 - (i) क्रम सं. 6क के सामने,-
 - (क) स्तंभ (3) के परंतुक में, मद (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(vi) मेटल शील्ड":
 - (ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (ii) क्रम सं. 6ख के सामने,-
 - (क) स्तंभ (3) में मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "परंतु मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात "कैमरा लेंस" को लागू नहीं होगी";
 - (ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (iii) क्रम सं. 6ग के सामने स्तंभ (4) के दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी :
 - (iv) क्रम सं. 7 के सामने,-
 - (क) स्तंभ (3) के मद (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxvii), (xxvii), (xxviii), (xxviii), (xxx) का लोप किया जाएगा।
 - (ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (v) क्रम सं. 7क, 7ख, 7ग और 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 - (vi) क्रम सं. 7ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ;
 - (vii) क्रम सं. 8 के सामने,-
 - (क) स्तंभ 3 में मद (v), (vi) और (vii) का लोप किया जाएगा;

- (ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (viii) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ix) क्रम सं. 13 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल, अर्थात् :-

- (क) चार्जर या पावर अडाप्टर ;
- (ख) सौर इंवर्टर" ;
- (x) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13अ	8504 90 90	निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल; अर्थात्	10%	-",
		:-		
		(क) चार्जर या पावर अडाप्टर का प्रिटेड		
		सर्किट बोर्ड असेंबली;		
		(ख) चार्जर या पावर अडाप्टर का मोल्डेड		
		प्लास्टिक		

- (xi) क्रम सं. 16, 17, 17क और 17ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (xii) क्रम सं. 20 के सामने स्तंभ (3) के मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात :-
 - "(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;
 - (झ) लाँग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स";
- (xiii) क्रम सं. 22 के स्तंभ (3) के सामने मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 - "(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;
 - (झ) लाँग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स"।
- 2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 62(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 3/2021-Customs

G.S.R. 61(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798 (E), dated the 30th June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification, in the TABLE, -
 - (i) against S.No. 6A,-
 - (a) in column (3), in the proviso, after item (v), the following item shall be inserted, namely: -
 - "(vi) metal shield";
 - (b) in column (4), for the entries at both the places, the entry "2.5%" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (ii) against S.No. 6B,-
 - (a) in column (3), after item (b), the following proviso shall be inserted, namely: "Provided that nothing contained in the entries mentioned at items (a) and (b) shall apply to the "camera lens";
 - (b) in column (4), for the entries at both the places, the entry "2.5%" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (iii) against S.No. 6C, in column (4), for the entries at both the places, the entry "2.5%" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (iv) against S.No. 7, -
 - (a) in column (3), items (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxiii), (xxvii), (xxviii), (xxviii), (xxx) shall be omitted;
 - (b) in column (4), for the entry, the entry "2.5%" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (v) S. Nos. 7A, 7B, 7C and 7D and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (vi) S. No. 7E and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (vii) against S.No. 8, -
 - (a) in column (3), items (v), (vi) and (vii) shall be omitted;
 - (b) in column (4), for the entry, the entry "2.5%" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
 - (viii) S. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ix) against S.No. 13, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "All goods other than the following goods, namely:-
 - (a) charger or power adapter;
 - (b) solar inverter ";

(x) after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13A	8504 90 90	All goods other than the following goods, namely:	10%	-";
		(a) Printed Circuit Board Assembly of charger or power adapter;		
		(b) Moulded Plastic of charger or power adapter		

- (xi) S. Nos. 16, 17, 17A and 17B and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xii) against S.No. 20, in column (3), for item (h), the following items shall be substituted, namely: -
 - "(h) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) products;
 - (i) Long Term Evolution (LTE) products";
- (xiii) against S.No. 22, in column (3), for item (h), the following items shall be substituted, namely: -
 - "(h) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) products;
 - (i) Long Term Evolution (LTE) products".
- 2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 2/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, published *vide* number G.S.R. 62(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 फरवरी. 2021

सं. 4/2021-सीमाश्ल्क

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/99-सीमा-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 जो संख्यांक सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी. का निम्नलिखित और संशोधन करती है. अर्थात :-

- 1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, सूची अ, क्रम सं. 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसुचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव